रेरा का निर्देश, पाटलीग्राम बिल्डर्स के निदेशकों को करें गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : पाटलीग्राम बिल्डर्स के निदेशकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने पटना के एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे पाटलीग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों प्रभात कुमार रंजन और प्रिया कुमारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करें, ताकि 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर उन्हें पेश किया जा सके। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं सदस्य एस डी झा की खंड पीठ ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया है।

यह मामला रेणु देवी और वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर किया गया है, जिसमें प्रमोटर द्वारा परियोजना पूरी न करने के कारण उन्होंने 16 लाख रुपये का भुगतान सूद सहित वापस मांगा था। प्राधिकरण ने सबसे पहले अपने आदेश में प्रमोटर को शिकायतकर्ताओं को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया था, क्योंकि प्रमोटर परियोजना को पूरा करने में विफल रहा था और उसने यह तथ्य भी

रेरा ने पटना के एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराने का दिया निर्देश, 21 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

छिपाया था कि जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना था, वह विवादित थी। इसका अनुपालन न होने और सुनवाई में किसी के पेश न होने पर खंड पीठ ने 14 अगस्त को प्रमोटर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई को प्रमोटर के वकील मामले में पेश हुए और पैसे वापसी के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। बेंच ने समय दिया। इसके बाद दो बार तारीख बढ़ाई गई मगर पैसे नहीं लौटाए गए। इसके बाद फिर से रेरा ने एसएसपी को दोषी पाटलीग्राम बिल्डर्स के निदेशकों को गिरफ्तार करने को कहा है।